Sl. No.	Name of Districts	Amount Released / Allocated		
		1993-94 Amount released	1994-95 Amount released	1995-96 Amount allocated
12.	Kamrup	503.77	494.65	491.81
13.	Karimganj	295.86	263.76	288.15
14.	K. Anglong	326.71	416.33	541.69
15.	Kokrajhar	575.19	496.70	624.58
16.	Lakhimpur	326.81	312.98	386.11
17.	Marigaon	169.78	272.19	325.33
18.	Nalbari	396.34	396.52	470.69
19.	N.C. Hills	153.33	182.11	229.77
20.	Nagaon	312.83	525.56	430.15
21.	Sibsagar	216.89	187.71	174.45
22.	Sonitpur	329.07	364.03	435.36
23.	Tinsukia	192.06	170.98	175.33
	Total	6924.58	7425.55	8273.61

लू लगने से हुई मौतें

2415. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995 में अत्याधिक गर्मी के कारण हुई मौतों की संख्या पूर्व वर्षों की तुलना में बढ़ गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान लू लगने से हुई मौतों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस वर्ष ऐसी मौतों में वृद्धि होने के क्या कारण थे, क्या इतनी अधिक गर्मी पड़ने के संबंध में पूर्वानुमान लगाया गया था, यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका मुकाबला करने के लिए क्या तैयारियां की गई थीं, यदि इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था, तो इसके क्या कारण थे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभागों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, 1993, 1994, 1995 में लू लगने से क्रमशः 42 एवं 371 और 452 मौतें हुई। गर्मी के महीनों में अनियमित वायुमण्डलीय प्रवाह पैटर्न की वजह से अत्यधिक लू चली जो इस मौतों की जिम्मेदार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गर्म लू की सूचना 24 से 48 घंटे पहले दे दी गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में, लोगों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न आपात स्थितियों में, जिनमें लू लगने से उत्पन्न होने वाली स्थितियां शामिल हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताए जाते हैं।

प्राचीन चिकित्सा पद्धति

2416. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 16 मार्च, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 61 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान संवर्धन और विकास हेतु सरकार द्वारा क्या भावी योजनाएं निरुपित की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक अलग से विभाग स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की है। इस विभाग को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय

चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देना और उसका विकास करना है। विभाग में निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी:

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की शैक्षिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

(ii) अनुसंधान संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी चिकित्सकों को अुसंधान पद्धति में प्रशिक्षित करके भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी में अनुसंधान को पुनः गति प्रदान करना।

(iii) (क) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी औषधों का मानकीकरण करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में औषध नियंत्रण को सुदृढ़ करना।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की औषधों की जांच करने संबंधी प्रयोगशाला सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में भेषजसंहिता संबंधी कार्य को सुदृढ़ करना।

(घ) योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और संस्थाओं का विकास करना।

(iv) औषधीय पादपों का विकास करना।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विशिष्टीकृत उपचार केन्द्रों की स्थापना करना।

(vi) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को समेकित करना।

Legislation on the sale and supply of blood

2417. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government will introduce legislation to make sale or supply of infected blood and offence of the most serious nature;

(b) whether Government have considered any such proposals to deter the use of infected blood to innocent patients;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) The whole human blood is a Drug under the Drug and Cosmetic Act, 1940. Supply of infected blood is an offence under section 27 of the Drug and Cosmetics Act, 1940 and Rules thereunder. Action is taken by State licensing authority for offences under Drug and Cosmetics Act, 1940 and Rules thereunder.

(b) to (d): HIV testing for donated blood before transfusion has been made mandatory through a notification issued in 1989. Each unit of blood is required to be tested as per Indian Pharmacopy for all blood transmissible diseases which includes Malaria, Hepatitis, HIV and syphillis.

Rush of Patients in Government Hospitals

2418. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether he has recently visited various Government Hospitals in the Capital:

(b) if so, the discrepancies found during his visit to hospitals;

(c) whether the rush of patients in various Government hospitals in the Capital is increasing and the authorities have totally failed to provide medical care; and

(d) if so, the further steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) and (b) Health and Family Welfare Minister has visited some Central Government hospitals in Delhi and observed that there is need to streamline and improve the facilities of Union Government hospitals and Medical Institutions.